संख्या- 27/2016/752/30-3-16-22बी/2000

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 30 मार्च, 2016

विषय- निष्प्रयोज्य घोषित होकर नीलाम हुए वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-08स्टोर्स/इन्फ/2016-टी0कवर/2012, दिनॉक 23-02-2016 एवं पत्रांक-11स्टोर्स/इन्फ/2016-टी0कवर/2012, दिनॉक 09-03-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन विभाग के लिये 01 सियाज कार मॉडल-सियाज पेट्रोल (यूरो-IV) वेरियेंट (VXI), डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर पर, प्रति वाहन मूल्य रू0 7,60,568.23 व कर रू0 2,161.84 कुल धनराशि रू0 7,62,730.00 (रू0 सात लाख बासठ हजार सात सौ तीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त नये वाहनों का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर पर किया जायेगा तथा क्रय किये जाने वाले वाहन की गुणवत्ता तथा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दर की वैधता की अवधि सुनिश्चित कर ली जायेगी।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों के स्थान पर पूर्व में नया वाहन क्रय न किया गया हो।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाशीर्ष-"3055-सड़क परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-14-मोटर गाडियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 27/2016/752(1)/30-3-2016, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in